न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 785 सन 2020
अनवान :-

1. रूपराम पुत्र प्रतापसिह जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. शमकोरी पत्नी प्रतापसिह जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
2. ललिता देवी पुत्री प्रतापसिह जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 11/02/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 16/17 की कुल 14.1930हैक एवं खाता संख्या 217/199 की कुल 3.5170हैक भूमि में सुयक्त तौर से दोनो खातों में 1/4 हिस्सा भूमि प्रतापसिह के नाम से है एवं रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 14/38 की कुल 5.6020हैक भूमि में से 7/40 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 21/56 की कुल 8.1430हैक भूमि में सुयक्त तौर से प्रतापसिह 7/40 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता प्रतापसिह पुत्र दुलराम के नाम से दर्ज थी वादी के पिता प्रतापसिह पुत्र दुलराम का देहान्त हो चुका है प्रतापसिह पुत्र दुलराम के जायज एवं कानुनी वारिसान उसकी पत्नी /पुत्र/पुत्रीया है अर्थात प्रतापसिह पुत्र दुलराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है प्रतापसिह के नाम से दर्ज भूमि के हकदार है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कुछ खातों में दर्ज भी हो चुकी है।

प्रतिवादी संख्या 2 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतापसिह जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादी के पिता प्रतापसिह के नाम से दर्ज थी वादी के पिता प्रतापसिह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है इसलिये वाद भूमि कुछ खातों में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम दर्ज हो चुकी है एवं कुछ खातों में प्रतापसिह के नाम से दर्ज है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसमें वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का हक हिस्सा है तथा

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी संख्या 2 ने निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 16/17 की कुल 14.1930हैक एवं खाता संख्या 217/199 की कुल 3.5170हैक भूमि में सुयक्त तौर से दोनो खातों में 1/4 हिस्सा भूमि प्रतापसिह के नाम से है एवं रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 14/38 की कुल 5.6020हैक भूमि में से 7/40 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 21/56 की कुल 8.1430हैक भूमि में सुयक्त तौर से प्रतापसिह 7/40 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पिता प्रतापसिह पुत्र दुलराम के नाम से दर्ज थी वादी के पिता प्रतापसिह पुत्र दुलराम का देहान्त हो चुका है प्रतापसिह पुत्र दुलराम के जायज एवं कानुनी वारिसान उसकी पत्नी /पुत्र/पुत्रीया है अर्थात प्रतापसिह पुत्र दुलराम के जायज व कानुनी वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है प्रतापसिह के नाम से दर्ज भूमि के हकदार है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कुछ खातों में दर्ज भी हो चुकी है।

प्रतिवादी संख्या 2 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 16/17 की कुल 14.1930हैक एवं खाता संख्या 217/199 की कुल 3.5170हैक भूमि में सुयक्त तौर से दोनो खातों में 1/4 हिस्सा भूमि प्रतापसिह के नाम से है एवं रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 14/38 की कुल 5.6020हैक भूमि में से 7/40 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 21/56 की कुल 8.1430हैक भूमि में सुयक्त तौर से प्रतापसिह 7/40 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि प्रतापसिह पुत्र दुलराम एवं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से दर्ज है वादी के पिता प्रतापसिह पुत्र दुलराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है जो प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र एवं

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वारिस प्रमाण पत्र से साबित है अर्थात प्रतापसिह पुत्र दुलराम के नाम से दर्ज भूमि के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 16/17 की कुल 14.1930हैक एवं खाता संख्या 217/199 की कुल 3.5170हैक भूमि में सुयक्त तौर से दोनो खातों में 1/4 हिस्सा भूमि प्रतापसिह के नाम से है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 14/38 की कुल 5.6020हैक भूमि में से 7/40 भूमि सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 अकेली खातेदार काश्तकार रहेगी के नाम से दर्ज है रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 21/56 की कुल 8.1430हैक भूमि में सुयक्त तौर से प्रतापसिह 7/40 हिस्सा दर्ज है का नाम कलमजन किया जारक वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रूपराम पुत्र प्रतापसिह जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 रामकोरी पत्नी प्रतापसिह जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
2. ललिता देवी पुत्री प्रतापसिह जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 785 सन 2020 निर्णय दिनांक– 11/02/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानिया के खाता संख्या 16/17 की कुल 14.1930हैक एवं खाता संख्या 217/199 की कुल 3.5170हैक भूमि में सुयक्त तौर से दोनो खातों में 1/4 हिस्सा भूमि प्रतापसिह के नाम से है का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 14/38 की कुल 5.6020हैक भूमि में से 7/40 भूमि सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 अकेली खातेदार काश्तकार रहेगी के नाम से दर्ज है रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 21/56 की कुल 8.1430हैक भूमि में सुयक्त तौर से प्रतापसिह 7/40 हिस्सा दर्ज है का नाम कलमजन किया जारक वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/02/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner

संशोधित पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रूपराम पुत्र प्रतापसिह जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. रामकोरी पत्नी प्रतापसिह जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
2. ललिता देवी पुत्री प्रतापसिह जाति जाट निवासी ललानिया तहसील नोहर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 785 सन 2020 निर्णय दिनांक– 25/3/2021

आज यह प्रार्थना पत्र 151–152 सीपीसी मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पर्चा डिक्री दिनांक 11.02.2021 में रोही मौजा सांगठिया के खाता संख्या 14 / 38 की कुल 5.6020हैक भूमि में से 7 / 40 हिस्सा अंकित है के स्थान पर 7 / 120 हिस्सा संशोधित किया जाता है एवं रोही मौजा चैनपुरा के खाता संख्या 21 / 56 की कुल 8.1430हैक भूमि में सुयक्त तौर से प्रतापसिह 7 / 40 हिस्सा दर्ज है के स्थान पर रामकोरी के नाम दर्ज है संशोधित किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

सशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/3/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner